

सतर प्लस आयु वालों का आयुष्मान कार्ड बनाने चलायें डोर-टू-डोर अभियान: कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी

पायनियर संवाददाता ▲ दुर्ग

www.dailypioneer.com

कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्टर सभाकाश में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकारों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही विभागीय गतिविधियों की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में सतर प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विकासखण्ड वार एवं नगरीय निकायवार अद्यत प्रतिट की जानकारी ली। उन्होंने अवकाश कराया कि जिले में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें 87 हजार सतर प्लस आयु वर्ग के लाग शामिल है। उन्होंने अद्यतन प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सतर प्लस आयु वर्ग के लाग शिविर में उपर्युक्त नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बनाया जाए। उन्होंने अधियान के दैरान मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने एवं पेशन आदि से भी विलोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दैरान सामाजिक सुरक्षा पेशन अंतर्गत नौन डीवीडी हितग्राहियों की जांच करने और आधार अपेक्षण कार्य में प्रतिट लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के



कार्य प्रारंभ कराने और स्कूल जलन योजना अंतर्गत निर्मित कार्यों का टीम बनाकर जांच कराने जिला पंचायत के सीईओ को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नार नियांगे और जनवारों में घृमतु पशुओं को खेले की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में प्राइवेट गौशाला संचालन करने वालों के नाम का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर चौधरी ने धन खरीदी की समीक्षा के दैरान उपार्जन केंद्रों में खरीदे गए धन एवं बफर लिमिट को घ्यान में रखते हुए धन का उत्तर भी

समय पर सुनिश्चित कराने डीएमओ एवं संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने राशन कार्ड के रिनिवल नहीं होने की स्थिति में संबंधित राशन दुकान के माध्यम से केवायसी कराने खाली नियंत्रकों की विभागवार समीक्षा की भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में सतर प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विकासखण्ड वार एवं नगरीय निकायवार समीक्षा की भी जानकारी ली। उन्होंने अवकाश कराया कि जिले में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिसमें 87 हजार सतर प्लस आयु वर्ग के लाग शामिल है। उन्होंने अद्यतन प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सतर प्लस आयु वर्ग के लाग शिविर में उपर्युक्त नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोगों का आयुष्मान कार्ड डोर-टू-डोर अभियान चलाकर बनाया जाए। उन्होंने अधियान के दैरान मृत व्यक्तियों के नाम राशन कार्ड से हटाने एवं पेशन आदि से भी विलोपित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दैरान सामाजिक सुरक्षा पेशन अंतर्गत नौन डीवीडी हितग्राहियों की जांच करने और आधार अपेक्षण कार्य में प्रतिट लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में जल संरक्षण के

नगर निगम दुर्ग-भिलाई, के अधिकारियों को प्रकारणों के निरवरण में प्रति लाने हेतु निर्देश दिए। बैठक में सभी आहरण एवं संविरलण अधिकारियों को अवकाश कराया गया था। इसी प्रकार पौड़ीएस चावल की शिराकलिंग रोकने जांच दल द्वारा सक्रिया पूर्वक कार्य सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि जिले के एस स्कूल जहां अभी तक नेवा भोज का आयोजन नहीं किया गया है, संबंधित जनपद सीईओ बीईओ से जानकारी प्राप्त कर स्कूली बच्चों के लिए वह आयोजन सुनिश्चित करो। कलेक्टर ने पंचायत राशन गवन की जानकारी ली। साथ ही संबंधित एसडीएम को बस्ती हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिए। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को स्वीकृत प्रशासनीय आवास योजना (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों को प्राप्तिक्रिया के साथ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नुस्खामी अन्य पत्र के प्रकारण, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएम के बैठक एवं पोर्टल के लिए वह प्रकारणों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस विभाग, आवेदन संबंध में अधिकारी उपस्थित थे।

14545 पर फोन करने पर मोर संगवारी योजना का घर पर मिलेगा लाभ



अबेदन, दुकान एवं स्थान पंजीयन/ग्रामसाल लाइसेंस के कुल-331 आवेदन, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार पंजीयन कुल-10031 आवेदन, पैन कार्ड सेवा के कुल-253 आवेदन, आधार मोबाइल नंबर अपडेट के कुल-11074 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के कुल-1311 आवेदन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के कुल-56 आवेदन, पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के कुल-2219 आवेदन, मूल्य प्रमाण पत्र के कुल-394 आवेदन, जन प्रमाण के कुल-732

पायनियर संवाददाता ▲ भिलाई

www.dailypioneer.com

मोर संगवारी सेवा योजना नागरियों को शासकीय योजनाओं का लाग घर बैठे कम समय में दिये जाने देती है। योजना नाम व्यक्तियों को लाग घर बैठे करने के लिए शासन ने टोल फ्री नं. 14545 जारी किया है, जिस पर फोन करके संगवारी एजेंट के माध्यम से नागरिकों की सुविधाओं का लाग ले सकते हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा अभी तक 3053 आवेदन, अनुसूचित नागरियों को लाग भए चाहीया गया है। मोर संगवारी योजना के तहत विवाह प्रमाण पत्र के कुल-2219 आवेदन, मूल्य प्रमाण पत्र के कुल-2839 आवेदन, एपीएल राशन कार्ड के

ग्राम पंचायत थनौदि स्थित अमृत सरोवर स्थल पर मनाया गया संविधान दिवस



पायनियर संवाददाता ▲ दुर्ग

www.dailypioneer.com

कुल-231 आवेदन, विवाह सुधार के कुल-93 आवेदन बनाकर दिये जा चुके हैं। प्रदेश में नागरियों को संपर्किट डिलीवरी करने में नगर पालिक निगम भिलाई का तीव्र स्थान है। विवाह स्थल के इस अलंतर उपयोगी योजना से न सिर्फ नागरियों को घर बैठे शासकीय सेवाओं का लाभ मिला है बल्कि लोगों के समय और पैसे की भी बचत हो रही है, साथ ही साथ सरकारी काम में भी तेजी आयी है। वैशालीनगर विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी उपस्थित प्रतिभागियों को संविधान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही सभी ग्रामीणों को संविधान की जानकारी प्राप्त कर अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का निवेदन करने के लिये कहा गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी जानकारी दी गयी है, जिसमें अधिकार एवं पंचायत अधिकार युवा भूमिका अधिकारी एवं विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान विवाह के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी उपस्थित प्रतिभागियों को संविधान विवाह की साथ विवाह के संविधान के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। इस अवसर पर सभी ग्रामीणों को संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी जानकारी दी गयी है, जिसमें अधिकार एवं पंचायत अधिकार युवा भूमिका अधिकारी एवं विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान विवाह के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी जानकारी दी गयी है, जिसमें अधिकार एवं पंचायत अधिकार युवा भूमिका अधिकारी एवं विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान विवाह के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। इस अवसर पर सभी ग्रामीणों को संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी जानकारी दी गयी है, जिसमें अधिकार एवं पंचायत अधिकार युवा भूमिका अधिकारी एवं विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान विवाह के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर सभी जानकारी दी गयी है, जिसमें अधिकार एवं पंचायत अधिकार युवा भूमिका अधिकारी एवं विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान विवाह के अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा चित्रकला, गोली प्रतियोगिता, वाद विवाह एवं विवाहित आयोजित कर विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय आदर्शों तथा देश के नागरियों का संविधान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया गया। विवाहक चंद्रका द्वारा भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होन

संपादकीय संभल में तनाव नियंत्रण आवश्यक

उत्तर प्रदेश का संभल शहर ऐतिहासिक शही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण को लेकर हुई विस्क ड्राइप के बाद तीव्र संप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। रविवार को हुई इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, कई अन्य शायद हो गए औं क्षेत्र में संप्रदायिक सौहार्द की नाजुक स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। संभल के चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेश पर 16वीं सत्राची में श्री हारि खड़े को शर्वत संप्रदायिक मस्जिद का निमाय बिया गया था। उन्होंने दायर किया कि भगवान विष्णु के कलिक अवतार की भविष्यत्वाणी की गर्भ जाह के रूप में यह मंदिर हिंडुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महल रखता है। याचिका में एसएआर के हस्तक्षेप और साइट पर सार्वजनिक पहुंच की मांग की गई थी, जिसमें मस्जिद प्रशासकों पर प्रवेश में वाचा डालने और एसएआर पर स्मारक की सुक्ष्म लापरवाही का आरोप लगाया गया था। कानूनी विवाद के कारण संभल में सिविल जज (वरिजनेर) की अदालत ने संभल का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट 29 नवंबर तक आनी थी। मंगलवार को प्रारंभिक सर्वेक्षण कथित तौर पर अश्रु था, जिसके कारण अधिकारीयों ने रविवार को अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित की। हालांकि, सर्वेक्षण दल के पहुंचते ही तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप विरोधी समझौतों के बीच विस्क ड्राइप हुई। टकराव में परश्वन, समझौतों के बीच विस्क ड्राइप हुई। टकराव में परश्वन, आगमनी और सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई। तीन लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। हिंसा की तब से राजनीतिक स्पेक्टरमें निदा की गई है, हालांकि इसने सर्वेक्षण और इसके संचालन के पांछे की मांग पर एक गरमारम बहस भी ढेर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अधिकारी यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजा) पर संप्रदायिक विभाजन की भड़काने का आरोप किया। संभल में स्थिती तनावपूर्ण बनी हुई है, और आगे की असरांत को रोकें बल लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। लेकिं बहा हम यहां एक पैटर्न देख रहे हैं? कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति जानवृद्धकर याचिका दायर करके विवाद को जम्म देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संप्रदायिक तनाव पैदा होता है और कुछ लोग औं पार्टी इस दाये का समर्थन करते हैं और राजनेताओं द्वारा स्थिति का फायदा उठाने के लिए धुनीकरण पूरा हो जाता है। हम संप्रदायिक विस्क से तंग आ चुके हैं और नियंत्रित रूप से इसे दाया जा सकता है क्योंकि 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक स्थलों को उसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय थे। शही जामा मस्जिद विवाद ऐतिहासिक शिकायतों, सांप्रदायिक संवेदनस्तिताओं औं वहूलवादी समाज में कानूनी जनादरों को नेतृत्व देने करने की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है। शायत बहाल करने और निर्दोष लोगों की जान जाने से रोकने के लिए सभी हितधारकों के बीच संयम और संवाद की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।



आगमनी और सुरक्षा बलों की तैनाती देखी गई। तीन लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। हिंसा की तब से राजनीतिक स्पेक्टरमें निदा की गई है, हालांकि इसने सर्वेक्षण और इसके संचालन के पांछे की मांग पर एक गरमारम बहस भी ढेर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अधिकारी यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजा) पर संप्रदायिक विभाजन की भड़काने का आरोप किया। संभल में स्थिती तनावपूर्ण बनी हुई है, और आगे की असरांत को रोकें बल लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। लेकिं बहा हम यहां एक पैटर्न देख रहे हैं? कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति जानवृद्धकर याचिका दायर करके विवाद को जम्म देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। संप्रदायिक तनाव पैदा होता है और कुछ लोग औं पार्टी इस दाये का समर्थन करते हैं और राजनेताओं द्वारा स्थिति का फायदा उठाने के लिए धुनीकरण पूरा हो जाता है। हम संप्रदायिक विस्क से तंग आ चुके हैं और नियंत्रित रूप से इसे दाया जा सकता है क्योंकि 'पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991' स्पष्ट करता है कि सभी धार्मिक स्थलों को उसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि वे स्वतंत्रता के समय थे। शही जामा मस्जिद विवाद ऐतिहासिक शिकायतों, सांप्रदायिक संवेदनस्तिताओं औं वहूलवादी समाज में कानूनी जनादरों को नेतृत्व देने करने की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है। शायत बहाल करने और निर्दोष लोगों की जान जाने से रोकने के लिए सभी हितधारकों के बीच संयम और संवाद की आवश्यकता महत्वपूर्ण है।

विश्व में हो रहे भू-राजनीतिक परिवर्तनों के साथ, 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के घोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास की वर्तमान रणनीति पर पुनर्विचार करना अनिवार्य हो जाता है।

अनुल सहगल
(लेखक प्रबंध
परमशत्राव है)

विश्व में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इन भू-राजनीतिक परिवर्तनों के साथ, 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के घोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास की वर्तमान रणनीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। देश वैश्विक रूप से मूल्यवान और मूल्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन और मूल्यवर्ती क्रमांक के बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार में भागीदारी को मात्र नियंत्रित में वर्तमान 1.8 प्रतिशत और मात्र 6 प्रतिशत से ऊपर की अवधि तक विवरण देता है। वैश्विक व्यापार की वर्तमान रणनीति पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो जाता है। वैश्विक राजनीतिक संरक्षण के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। याचिका में एसएआर के हस्तक्षेप और साइट पर सार्वजनिक पहुंच की मांग की गई थी, जिसमें मस्जिद प्रशासकों पर प्रवेश में वाचा डालने और एसएआर पर स्मारक की सुक्ष्म लापरवाही का आरोप लगाया गया था। कानूनी विवाद के कारण संभल की वरिजनेर (वरिजनेर) की अदालत ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेश पर 16वीं सत्राची में श्री हारि खड़े को शर्वत संप्रदायिक मस्जिद का नियंत्रित रखना की आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेश पर 16वीं सत्राची में श्री हारि खड़े को शर्वत संप्रदायिक मस्जिद का नियंत्रित रखना की आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेश पर 16वीं सत्राची में श्री हारि खड़े को शर्वत संप्रदायिक मस्जिद का नियंत्रित रखना की आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत संरक्षित यह मस्जिद 19 नवंबर को दायर एक याचिका के बाद कानूनी विवाद का विषय बन गई। याचिकाकर्ता, अधिकारी हीरे शंकर जैन और महंत ऋषिगण गिरि सहित आठ याचिकाओं के एसएआर ने आरोप लगाया कि मान्य स्मारक वापर के आदेशित सर्वेक्षण को लेकर चंदौसी में स्थित शही जामा मस्जिद सदियों पुरानी संरचना है जिसमें भारतीय पुराण वर्ष सर्वेक्षण (एसएआर) द्वारा गश्टीय महल के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनिय

